


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ₹म०५००



- ११ केशरी प्रसाद ११ तीनों के पिता स्व०
१२ रामपाल , ११ रामदुलारे राम ब्रा०
१३ मिर्छला प्रसाद, ११
सभी निवासी ग्राम ममदर, तह० रामपुर नैकिन , जिला-सीधी
₹म०५०० ----- आवेदकगण

बनाम

- ११ छोटेलाल ब्रा० , ११ तीनों के पिता अंजनी प्रसाद ,
१२ राजमणि ब्रा० , ११ तीनों निवासी- ग्रा० ममदर, तह० रामपुर
१३ लालजी ब्रा० ११ नैकिन , जिला- सीधी ₹म०५००
----- अना वेदकगण

श्री. रामदुलारे राम ब्रा०
द्वारा आज दि. 23.1.13 को

₹म०५००
23.1.13
राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी पुरहट , जिला- सीधी ₹म०५००
द्वारा प्रक०क०- 64/अपील/2011-12 . में
पारित आदेश दि० 11-01-2013 .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०५००भूरा० सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

- ११ यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश
विधि प्रकिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किए
जाने योग्य है ।

298-I/13

Chaturvedi
23/01/13


18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/298/1/13, सीध,

केशरी / गोटेला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>हर्षेन्द्र चतुर्वेदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>पुरहट</u> के प्रकरण क्रमांक <u>64/214/11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>11/01/13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीध</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>22/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीध</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> सदस्य</p>